राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

17 APR 2012

क्रमांक प–1(221) कार्मिक/क–3/जॉच/2007 जयपुर, दिनांकः

आदेश

श्री ओमप्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 20.09.2007 से आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र॰ जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

श्री सैनी पर निम्न आरोप अधिरोपित किए गए :–

आरोप संख्या–1

यह है कि आप श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट, सूचना प्रौधोगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक प.44(69) कम्प्यू संस्था/89/एम.एल.144 दिनांक 01.12.2005 द्वारा विदेश से परिवार लाने हेतु दिनांक 28.11.2005 से 09.12.2005 तक कुल 12 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। जिसके अनुसार उक्त श्री सैनी को दिनांक 12.12.2005 को कार्य पर उपस्थित होना था (दिनांक 10–11.12.2005 को राजपत्रित अवकाश था)

परन्तु आप श्री सैनी दिनांक 12.12.2005 से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे है एवं इस विभाग के निर्देशों के पश्चात् भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुए है। आप श्री सैनी का यह कृत्य कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने, राज्यादेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जिसके लिये आप जिम्मेदार है।

इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.09.2007 द्वारा आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र जारी कर सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग के मार्फत श्री सैनी को तामील करवाने हेतु भिजवाये गये। प्रशासनिक विभाग द्वारा उपरोक्त ज्ञापन श्री सैनी को यू. एस.ए के पते पर दिनांक 06.10.2007 को एयर मेल द्वारा प्रेषित किये गये।

श्री सैनी को ज्ञापन दिनांक 20.09.2007 द्वारा जारी आरोप पत्र विधिवत् रूप से तामील नहीं हो पाया, इसलिए उनके विरूद्ध सी.सी.ए नियम–16 में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अभिकथन प्रस्तुत किये जाने हेतु दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में नोटिस दिनांक 26.03.2008 प्रकाशित कराया जाकर 30 दिवस में अपना अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

श्री सैनी ने उक्त प्रेषित पत्रों के सन्दर्भ में अपना कोई अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया। उक्त जारी आरोपों की जॉच करने के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 (4) के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2008 को आयुक्त (द्वितीय) को जांच अधिकारी एवं तत्पश्चात् आयुक्त (प्रथम) विभागीय जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, तत्पश्चात् प्रशासनिक कारणों से संशोधन कर आयुक्त (प्रथम) विभागीय जांच के स्थान पर आयुक्त (चतुर्थ) विभागीय जांच को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त विभागीय जांच ने प्रकरण में जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2010 को प्रस्तुत किया। सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को श्री ओम प्रकाश सैनी को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.08.2010 के साथ अधिरोपित आरोपों को सिद्ध माने जाने के कारण जांच प्रतिवेदन तामील करवाकर, अभ्यावेदन दिनांक 20.08.2010 तक भिजवाने हेतु लिखा गया उसके बाद पुनः पत्र दिनांक 25.11.10 द्वारा

दिनांक 25.12.10 तक अभ्यावेदन चाहा गया। परन्तु तामील रिपोर्ट/अभ्यावेदन प्राप्त न होने के कारण सूचना प्रोद्योगिकी संचार विभाग ने दिनांक 30.08.2010 को यू.एस.ए के पते पर एयर मेल एवं दिनांक 01.12.2010 को जयपुर के पते पर भी भेजा गया। इसके पश्चात् पुनः विभाग के नोटिस दिनांक 22.3.2011 से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर श्री सैनी को 30 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका देकर उल्लेखित किया गया कि निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर ली जावेगी परन्तु श्री सैनी से कोई प्रत्युत्तर/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2010 में उल्लेखित किया कि आरोपित अधिकारी श्री ओम प्रकाश सैनी ने अपने पत्र दिनांक 21.10.09 में अंकित किया हैं कि वे राजस्थान सरकार की स्वीकृति दिनांक 31.03.1998 की आज्ञा से विदेश में प्रतिनियुक्ति पर गये थे। प्रतिनियुक्ति अवधि बढाने हेतु उनके द्वारा सरकार से प्रार्थना की गई, और वित्त नियम विभाग के आदेश दिनांक 22.05.2003 के तहत् 5 वर्ष के असाधारण अवकाश स्वीकृत करने की याचना की। उन्होने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि उन्हें कमांक प.1(175)कार्मिक/क–3/2003 दिनांक 03.03.2006 के द्वारा दिनांक 01.04.2001 से 04.11.2005 तक की अनुपस्थिति अवधि को अकार्य अवधि (Diesnon) मानने एवं पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। श्री सैनी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया हैं कि वे दिनांक 14.11.2005 को अपने कार्य पर उपस्थित हो गये थे। आरोपित अधिकारी के उक्त तथ्यों का सम्बन्ध आरोप से नहीं हैं, क्योंकि आरोप पत्र में दिनांक 12.12.2005 से जानबूझकर अनुपस्थित रहने को आधार बनाया गया हैं। आरोपित अधिकारी श्री ओम प्रकाश सैनी ने अपने पत्र में कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 20.09.2007 सपठित संशोधन दिनांक 01.09.2008 के द्वारा लगाये गये आरोप के विरूद्ध बचाव हेतु कोई साक्ष्य/तथ्य नहीं दिये हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यालय आदेश कमांक एफ 44(69)आयो/कम्प्यू/89/एमएल–144, दिनांक 01.12.05 द्वारा आरोपित अधिकारी श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट का दिनांक 28.11.2005 से 09.12.2005 तक (कुल 12 दिवस) उपाजित अवकाश स्वीकृत किया गया, दिनांक 10 एवं 11.12.2005 का राजपत्रित अवकाश था। श्री सैनी को दिनांक 12.12.2005 को कार्य पर उपस्थित होना था। परन्तु श्री सैनी के कार्यालय में उपस्थित न होने पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के पत्र कमांक 44(69)आयो/कम्प्यू/89/530, दिनांक 03.04.2006 के द्वारा भी श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट को उनके यू.एस.ए. के पते "1252, TIOGA DR IRVING, TX-75063 U.S.A." पर पत्र भेजकर सूचित किया गया कि "आपको विदेश से परिवार लाने हेतु दिनांक 28.11.2005 से 09.12.05 तक कुल 12 दिवस का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था परन्तु आप द्वार आदिनांक तक विभाग में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः आपको सूचित किया जाता हैं कि आप अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित हो अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।" पत्र कमांक 44(69)आयो/कम्प्यू/89/2241, दिनांक 13.12.2006 के द्वारा श्री सैनी को पुनः स्मरण कराया गया। तत्पश्चात् पत्र कमांक 44(69)आयो/कम्प्यू/89/654,दिनांक 17.03.07 के द्वारा श्री सैनी का विदेश का पता " SH. OM PRAKASH SAINI, 1252 TIOGA IRVING TX- 75063 U.S.A." तथा स्थानीय पता " श्री ओम प्रकाश सैनी, बी–180, आनन्दपुरी,शान्ति रोडवेज के पास, मोती डूँगरी रोड, राज. जयपुर–302004" अंकित करते हुए दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के अंक में नोटिस प्रकाशित कराया गया, जिसमें नोटिस प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर–अन्दर विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही उक्त नोटिस श्री सैनी की ई.मेल आई.डी. " omprakashsaini@hotmail.com" भी मेल किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस मे बताया कि सभी सूचनाओं के बावजूद आरोपित अधिकारी श्री सैनी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट हैं

कि श्री सैनी दिनांक 12.12.2005 से निरन्तर अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा विभाग द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के निर्देशों के पश्चात् भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं। इस प्रकार जांच अधिकारी द्वारा श्री सैनी के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित माना है।

उक्त प्रकरण की विस्तृत वस्तुस्थिति एवं जांच रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों से ज्ञात होता है कि आरोपित अधिकारी श्री ओम प्रकाश सैनी सिस्टम एनालिस्ट सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर दिनांक 12.12.2005 से लगातार अनुपस्थित चल रहे है एवं पैतृक विभाग तथा कार्मिक विभाग के निर्देशों के पश्चात् न तो जांच हेतु और न ही अपने पदीय कार्य पर उपस्थित हुए है। श्री सैनी का यह कृत्य, कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने, राज्यादेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में प्रमाणित होता है तथा यह भी प्रतीत होता है कि अब श्री सैनी राजकीय सेवा के इच्छुक नहीं है।

जांच प्रतिवेदन का प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री ओम प्रकाश सैनी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए उन्हें राज्य सेवा से पृथक किये जाने (Dismissal from service) का अनन्तिम रूप से निर्णय लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को राय हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2011 के द्वारा प्रेषित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक एफ .1 (25) विजा/2011–12/757 दिनांक 01.02.2012 द्वारा राज्य सरकार के प्रस्तावित दण्ड पर अपनी सहमति प्रदान की।

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय श्री ओमप्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट, सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए उनकी अनुपस्थिति दिनांक 12.12.2005 से राज्य सेवा से पृथक किये जाने (Dismissal from service) के दण्ड से दण्डित किए जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(25)विजा/2011–12/757, दिनांक 01.02.12 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त निदेशक (संस्थापन), सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बार कोड क्रमांक 11004130 दिनांक 31.10.2011 के सन्दर्भ में।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–3/निरीक्षण) विभाग। 10(197)2007
7. श्री ओमप्रकाश सैनी, सिस्टम, एनालिस्ट, (मय राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय एवं अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित)
   . द्वारा :– अतिरिक्त निदेशक (संस्थापन), सूचना प्रोद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

S.N.044(R)

113

कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या ......274......
दिनांक......2/2/12......

राजस्थान लोक सेवा आयोग
Rajasthan Public Service Commission

जयपुर रोड
Jaipur Road,
अजमेर - 305 026
AJMER - 305 026

web site : www.rpsc.gov.in
Tel. 0145-2627643

कार्मिक (क-3) विभाग
सं. प्राप्ति 1657
16/02/12

क्रमांक - एफ 1 (25) वि.जा / 2011-12 / 757
NO. -

दिनांक 1/2/12

शासन उप सचिव,
कार्मिक (क–3 / जॉच) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– विभागीय जांच विरुद्व श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रकरण में आयोग की सलाह।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक प.1(221) कार्मिक / क–3 / जांच / 2007 दिनांक 15.11.11 के संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं तथ्यों पर आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित दण्ड से सहमत होते हुए श्री ओम प्रकाश सैनी, सिस्टम एनालिस्ट, को सेवा से पृथक (Dismissal From Service) करने के दण्ड से दण्डित किये जाने की सहमति प्रदान करता है।

प्रकरण में शासन द्वारा लिए गए निर्णय से कृपया आयोग कार्यालय को अवगत करावे।

प्रकरण से संबंधित अभिलेख संलग्न सूची अनुसार आपको लौटाया जाता है।

संलग्न :– अभिलेख सूची।

भवदीय,

(के.के.पाठक)
सचिव

संलग्न सूची के क्र.सं. 4 के अतिरिक्त प्रति लिपिकीय (रीक्त) हटाकर पत्रावली... क्र.सं. 1 से 3 संलग्न के अनुसार ... संलग्न कर ... प्रेषित है।

14/2/12

15/2/2012

16/2